

4344

4238



Government of Jharkhand

Receipt of Online Payment of Stamp Duty

NON JUDICIAL

Receipt Number : c43b7046d53e5d1bd746

Receipt Date : 15-Jul-2022 07:31:34 am

Receipt Amount : 50800/-

Amount In Words : Fifty Thousands Eight Hundred Rupees Only

Token Number : 20220000085044

Office Name : SRO - Palamu

Document Type : Sale Deed

Payee Name : MAYANK BHARDWAJ (Vendee)

GRN Number : 2212162748



-: For Office Use :-

भारतीय अधिनियम 21, तथा अधिनियम
1908 की धारा 27
भारतीय अधिनियम 1899 की धारा 62
के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।

Shailendra Kumar Agrawal

15/7/22

15/7/22

इस रसीद का उपयोग केवल एक ही दस्तावेज पर मुद्रांक शुल्क का भुगतान के प्रमाण हेतु ही किया जा सकता है। पुनः प्रिन्ट कर अथवा फोटो कॉपी आदि द्वारा इसी रसीद का दुसरे दस्तावेज पर मुद्रांक शुल्क का भुगतान के प्रमाण हेतु उपयोग भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 की धारा 62 अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।

504 ~~504~~ 1270000




अभि प्रमाणित
किम्पत वेडिंग

दस्तावेज विधिक तालिका 115/03
वादेनीनगर, पलामू

प्रतिबंधित भूमि से फ्लॉट
करिया 701 गुवत है।

Online Fee Paid
ID/GRN No. 22/2/62723

A (1)
L. L. R.
P. Fee
30104
22/07/22



1270000/- बारह लाख
मवाजी 2.95 (दो)
उत्तमो-मवाजी का रसुद
का पत्रक (मिथ) रह है हैं।
Shailendra Kumar Agrawal
15.7.2022

SALE DEED

1. लेख्यकारी का नाम एवं पूरा पता :- (बिक्रेता)

श्री शैलेन्द्र कुमार अग्रवाल पिता का नाम स्व० विश्वनाथ प्रसाद अग्रवाल पिछड़ी जाति वर्ग II, (CNT ACT 1908 के अंतर्गत आच्छादित नहीं हैं) निवास स्थान ग्राम बारालोटा पोस्ट जी०एल०ए० कॉलेज बारालोटा, थाना मेदिनीनगर, जिला पलामू, पेशा व्यवसाय, नागरिकता- भारतीय।

PAN- ABOPA8655N

शपथ पत्र सं०- 2676 दिनांक- 15.07.2022

2. लेख्यधारी नाम एवं पूरा पता :- (क्रेता)

श्री मयंक भारद्वाज पिता का नाम श्री इन्दुशेखर उपाध्याय सामान्य जाति (CNT ACT 1908 के अंतर्गत आच्छादित नहीं हैं), निवास स्थान ग्राम चेचरिया खुर्द पोस्ट मंडरा निस्फ थाना कांडी, जिला गढ़वा, वर्तमान पता गढ़वा ब्लॉक ऑफिस के सामने पिपरा कला, जिला गढ़वा झारखण्ड पेशा व्यवसायी, नागरिकता भारतीय। PAN- BDFPB1241K

शपथ पत्र सं०- 2677 दिनांक- 15.07.2022

श्री कुमार सिंह
श्री भारद्वाज सिंह
15-07-2022

3. लेख्यप्रकार :- बिक्रय पत्र (SALE DEED)
4. (क) सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य :- मुबलीग 7,57,000/- (सात लाख संतावन हजार) रूपये मात्र।
- (ख) देय मूल्य :- मुबलीग 12,70,000/- (बारह लाख सतर हजार) रूपये मात्र।
5. सम्पति :- मवाजी 2.95 (दो दशमलव नौ पांच) डी0 टांड जमीन गृह निर्माण योग्य एवं गृह निर्माण हेतु अन्दर ग्राम बारालोटा, मेदिनीनगर नगर निगम वार्ड नं0 6 A अंचल एवं नगर निगम मेदिनीनगर, जिला पलामू। इलाके वो जिला अवर निबंधन कार्यालय मेदिनीनगर, जिला पलामू। हकियत लेख्यकारी को रैयती हक हासिल हैं। दस्तावेज के साथ बिक्री भू-खण्ड का नक्शा संलग्न है, जो दस्तावेज का अभिन्न अंग एवं अंश है।

Shankar Anand Kumar Singh

15.7.2022

भूमि का विवरण:-

| थाना नं0 | तौजी नं0 | खेवट नं0 | हल्का नं0 | वार्ड नं0 | मौजा |
|----------|----------|----------|-----------|-----------|----------|
| 198 | 51 | 1 | 1 | 6 A | बारालोटा |

नगर निगम होल्डिंग नं0- 06 A0000002000M0 वार्ड नं0-6 A

| खाता नं0 | प्लॉट नं0 | रकबा | चौहदी |
|---------------|--------------------|--------------------------------|--|
| 74 (चौहतर) | 701 (सात सौ एक) | 2.95 (दो दशमलव नौ पांच) डी0 | उ0- अमित कुमार सिंह द0- 12 फीट चौड़ा रास्ता, रास्ता के बाद सुनिल चौबे पू0- नन्दकिशोर तिवारी प0- कंचन देवी |

मनीष कुमार उपाध्यक्ष
पिता- श्री महेंद्र उपाध्यक्ष
2310 नं0- सुदमा
सिलेनगंज, पलामू
7004088254
ता: 15.7.22

बिक्री भूखण्ड का माप

उत्तर से दक्षिण पूरब तरफ 39 फीट
उत्तर से दक्षिण पश्चिम तरफ 35 फीट
पूरब से पश्चिम उत्तर तरफ 32 फीट 6 ईंच
पूरब से पश्चिम दक्षिण तरफ 37 फीट

विदित हो कि उपर वर्णित सम्पति का खतियान गत सर्वे में बकास्त लगान पाने वाला दर्ज है। दिनांक 03.04.1921 ई0 को लेख्यकारी के दादा एवं इनके भाई हीरालाल एवं बंशीधर अग्रवाल पिता गोपाल दास जाति अग्रवाल ने श्री खखनु तिवारी पिता का नाम शहाई राम तिवारी, निवासी ग्राम बारालोटा थाना डालटनगंज हाल थाना मेदिनीनगर जिला पलामू के क्रय कर प्राप्त किये थे जिसका निबंधित बिक्रय पत्र सं0 701 बुक नं0 1 जिल्द नं0 14 पेज न0 109 से 111 तक है। लेख्यकारी के दादा अपने जीवन काल भर उपरोक्त भू-खण्ड पर निर्विवाद रूप से दखल कब्जा में रहे दादा की मृत्यु के बाद लेख्यकारी के पिता विश्वनाथ प्रसाद अग्रवाल को अपने तीन भाईयों में आपसी बंटवारे से प्राप्ता हुआ। तथा वे अपने जीवन काल में उपरोक्त भू-खण्ड पर निर्विवाद रूप से दखल कब्जा में रहें। लेख्यकारी के पिता की मृत्यु के बाद लेख्यकारी एवं इनके दोनों भाईयो के बीच आपसी बंटवारा हुआ जिसके आधार पर सभी भाईयों का डिमाण्ड अलग-अलग चलने लगा। जिसमें लेख्यकारी के नाम से डिमाण्ड होल्डींग नं0 2883 पर चलता है, एवं कम्प्युटरीकृत पंजी II के भाग वर्तमान 16 एवं पृष्ठ सं0 71 पर लेख्यकारी का नाम दर्ज है उक्त भू-खण्ड पर लेख्यकारी का निर्विवाद रूप से दखल कब्जा कायम है और उक्त सम्पति हर तरह से साफ सुथरा है किसी तरह का नुकस नहीं है अगर होगा तो उसकी सारी जिम्मेवारी एवं क्षति पूर्ति के साथ देनदार लेख्यकारी स्वयं है अथवा इनके उत्तराधिकारी होंगे।

Shyam kinkar Tiwari

15.7.2022

Shyam kinkar Tiwari

Shiv Nath Tiwari

Shiv Nath Tiwari

Palamu 15.7.22

सौंप कर जमीन का पूर्ण स्वामी (मालिक) बना दिये तथा दखल-कब्जा दे दिये।
क्रेता को आज की तिथि से सम्पूर्ण हकियत हक अधिकार विद्यमान हो गई
तथा मैं (लेख्यकारी) इनके दखल-कब्जे को पूर्ण रूप से सम्पुष्ट करता हूँ।
इससे अब लेख्यकारी या इनके परिवार के किसी भी अन्य उत्तराधिकारियों
अथवा स्थानापन्न को कुछ भी सम्बन्ध या सरोकार नहीं रहा और ना ही भविष्य
में कभी भी रहेगा।

अब लेख्यधारी को चाहिए कि इस सम्पत्ति के सम्बन्ध में झारखंड सरकार
के सिरिस्ते में अंचल कार्यालय द्वारा अपने नाम का दाखिल-खारिज करा लें
तथा वार्षिक राजस्व कर (TAX) देकर इसके शूल्क की रसीद को स्वयं अपने
नाम से प्राप्त किया करें।


यह कि लेख्यकारी ने लेख्यधारी को अच्छी तरह समझा दिये है की
उपरोक्त अपनी खरीदी गई जमीन में से 12 फीट चौड़ा रोड की तरफ एक
फीट चौड़ी जमीन छोड़कर ही अपना चाहर दिवारी या गृह निर्माण करायेगें
अपनी छोड़ी गई जमीन में घर का गंदा पानी या बरसाती पानी नाली बनाकर
निकास करेगें रास्ता की जमीन का किसी प्रकार से अतिक्रमण नहीं करेगें।

इस दस्तावेज में वर्णित सम्पत्ति सरकारी भूमि वन विभाग की भूमि,
मंदिर-मस्जिद की भूमि, भूदान से प्राप्त भूमि नहीं है तथा किसी न्यायालय द्वारा
प्रतिबंधित भूमि नहीं है तथा इसके हस्तांतरण से छोटानागपुर कास्तकारी
अधिनियम के संगत प्रावधानों का उल्लंघन नहीं हो रहा है, तथा विवाद रहित
एवं अधिभार मुक्त है। अब उक्त भू-सम्पत्ति से लेख्यकारी दर गुजरे व बाज
आये इसलिए लेख्यकारी अपने शरीर तथा मन की पूर्ण स्वस्थता में अपनी इच्छा
तथा प्रसन्नता से इस बिक्रय पत्र (Sale Deed) को तैयार करवा कर स्वयं से
पढ़ कर और पढ़वा कर सुन-समझ लिये, तथा सही पाकर कर अपना हस्ताक्षर

Shailendra Kumar Aglawat
15.7.2022

से इस दस्तावेज को निष्पादित कर दिये जो भू-सम्पति हस्तांतरण का स्थायी प्रमाण रहे और समय पर काम आवे। आज दिनांक 15-07-2022 ई0 स्थान मेदिनीनगर जिला पलामू।

Satyajeet Kumar
टंकक-



Mayank Bhardwaj
15.07.2022

दस्तावेज नवीस ला0 नं0 111/03
मेदिनीनगर, पलामू



मैं किस्मत मेहता (किस्मत मेहता) दस्तावेज नवीस ला0 नं0 111/03 स्थान मेदिनीनगर प्रमाणित करता हूँ कि इस दस्तावेज में जिन-जिन व्यक्तियों का छायाचित्र लगा है उनके बांये हाथ के सभी अंगुलियों का निशान मेरे समक्ष लिया गया है।

प्रारूपकर्ता:- किस्मत मेहता (किस्मत मेहता) दस्तावेज नवीस ला0 नं0 111/03 स्थान मेदिनीनगर, दस्तावेज पढ़कर दोनों पक्षों को सुना व समझा दिया, बोले कि ठीक है।

Shankar Kumar Agarwal

15.7.2022